पत्रांक 8/वि01-48/2010.....117...../

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

मृदुला सिन्हा,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,

झारखण्ड।

राँची, दिनांक .....18..... जनवरी, 2011

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का गैर सरकारी विद्यालयों के द्वारा अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि झारखण्ड राज्य में भी दिनांक 01.04.2010 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू है। इस अधिनियम के तहत् गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के द्वारा अनुपालित किये जाने वाले विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में तत्काल निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं –

1. विद्यालय में नामांकन हेतु अभ्यर्थी छात्रों का न तो किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जायेगा न ही कोई लिखित/ मौखिक परीक्षा ली जायेगी। अभ्यर्थी छात्रों के अभिभावकों का भी विद्यालय द्वारा कोई साक्षात्कार इत्यादि नहीं लिया जायेगा। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन द्वारा नामांकन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शी विधि निर्धारित कर उसका अनुपालन करते हुये छात्रों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. ऐसे विद्यालयों में प्रवेश कक्षा (entry class) की कुल सामर्थ्य संख्या के 25 प्रतिशत की संख्या में विद्यालय के आस–पास (neighbourhood) के कमजोर एवं अभिवंचित वर्गों (weaker section and disadvantaged groups) के परिवारों के बच्चों का नामांकन विद्यालय प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के अन्तर्गत विद्यालय के आस–पास (neighbourhood) के रूप में निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे

(BPL) परिवारों के बच्चे सम्मिलित होंगे। उक्त परिवारों में से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्गो की बच्चियों एवं बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसे शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4. सामान्य तौर पर विद्यालय के एक कि0मी0 त्रिज्या (radius) में अवस्थित क्षेत्र उस विद्यालय के लिये आस-पास का क्षेत्र (neighbourhood) माना जायेगा।

5. ऐसे क्षेत्र जहां पर पास-पास एक से अधिक ऐसे विद्यालय अवस्थित हैं उन विद्यालयों के आस-पास के क्षेत्र (neighbourhood) का निर्धारण संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विद्यालय के प्राचार्यो/ प्रधानाध्यापकों की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।

6. उक्त विद्यालयों में प्रवेश कक्षा की सामर्थ्य की 25 प्रतिशत संख्या पर विद्यालय के आस-पास (neighbourhood) से कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग (weaker section and disadvantaged groups) के परिवारों के बच्चों का नामांकन शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से ही आरंभ करना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के लिये जिला शिक्षा अधीक्षक उस जिले के सभी गैर सरकारी विद्यालयों के लिये नोडल पदाधिकारी रहेंगे। प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित विद्यालय, संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तथा जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्तर से अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप विद्यालयों को आवश्यक दिशा-निदेश प्रदान करते हुये संबंधित विषयों का निष्पादन करायेंगे।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तत्संबंधी प्रावधानों के अनुपालन हेतु कृपया उक्त निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

(मृदुला सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।